# नगरीय विकास

13

# नगरीय विकास

## मुख्य बिन्दु

- ग्रामों से नगरो की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहॉ शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था, यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 प्रतिशत (59.37 लाख) हो गया है।

- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं –सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, राजीव गॉधी स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, हाट–बाजार समृद्धि योजना, सॉस्कृतिक भवन योजना, भागीरथी नलजल योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, मिशन क्लीन सिटी इत्यादि।

- गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी हेतु समस्त 166 नगरीय निकायों में 377 गोधन खरीदी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पाटन, जशपुरनगर, धमतरी, अंबिकापुर एवं भिलाईनगर ने अपने–अपने जनसंख्या श्रेणी में देश के स्वच्छतम शहर होने का गौरव प्राप्त किया है।

# नगरीय विकास

विश्व तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन–देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है।

**तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति**

| मद | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या (लाख) | 74.57 | 91.54 | 116.37 | 140.1 | 176.15 | 208.34 | 255.45 |
| दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर | 9.42 | 22.77 | 27.12 | 20.39 | 25.73 | 18.27 | 22.61 |
| शहरी जनसंख्या (लाख) | 3.64 | 7.63 | 12.08 | 20.58 | 30.65 | 41.86 | 59.37 |
| दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर | | 109.52 | 58.37 | 70.39 | 48.9 | 36.58 | 41.84 |
| कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत | 4.88 | 8.33 | 10.38 | 14.69 | 17.4 | 20.09 | 23.24 |
| भारत की कुल जनसंख्या | 3,611 | 4,392 | 5,482 | 6,833 | 8,464 | 10,287 | 12,109 |
| भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर | 13.31 | 21.64 | 24.8 | 24.66 | 23.87 | 21.54 | 17.7 |
| भारत की शहरी जनसंख्या (लाख) | 624 | 789 | 1,091 | 1,595 | 2,176 | 2,861 | 3,771 |
| भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत | 17.28 | 17.96 | 19.9 | 23.34 | 25.71 | 27.81 | 31.14 |

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह समस्त देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगीकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने इत्यादि के कारण हैं। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। राज्य में रायपुर–भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियॉ बढ़

जाती है, जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़कें, दूरसंचार, जलप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 11 के अंतर्गत भी शहर और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित लचनशील और चिरस्थायी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

1. पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और आधारभूत सेवाओं तक सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करना और मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।
2. सड़क सुरक्षा में सुधार करते हुए, विशेषकर कमजोर स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और चिरस्थाई परिवहन व्यवस्था तक पहुँच प्रदान करना।
3. सभी देशों में समावेशी और चिरस्थाई शहरीकरण और सहभागी, एकीकृत और चिरस्थाई मानव बस्ती योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता का संवर्धन करना।
4. विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना।
5. हवा की गुणवत्ता और नगर निगम और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने सहित शहरों का प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करना।
6. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित और सार्वजनिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ के नगरीय सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

**तालिका 13..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक**

| सूचकांक | 2019-21 | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल | ग्रामीण | शहरी | कुल | ग्रामीण | शहरी |
| अशोधित जन्म दर | | | | 22.2 | 23.6 | 17.6 |
| कुल प्रजनन क्षमता दर | 1.8 | 1.9 | 1.4 | | | |
| शिशु मृत्यु दर | 44.3 | 48.7 | 26.2 | 40 | 41 | 34 |
| 5 साल के नीचे मृत्यु दर | 50.4 | 55.8 | 28.9 | | | |
| अशोधित मृत्यु दर | | | | 7.3 | 7.7 | 6.2 |
| **Source:- NFHS 2019-21** | | | | **Source:- SRS 2019** | | |

| तालिका 13.3 जीवित जन्म 2008–19 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मद | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| कुल | 35.2 | 40.3 | 47.4 | 54.1 | 63.3 | 66.5 | 71.8 | 57.9 | 50.7 | 59.2 | 73.8 | 80.5 | 88.0 |
| ग्रामीण | 30.7 | 35.9 | 43.0 | 50.3 | 60.5 | 64.0 | 68.2 | 47.6 | 40.0 | 52.3 | 37.7 | 40.5 | 85.7 |
| नगरीय | 65.6 | 68.9 | 76.9 | 79.2 | 81.7 | 83.3 | 85.2 | 73.9 | 72.2 | 73.4 | 36.1 | 40.0 | 90.4 |
| Source : Annual Vital Statistics Report | | | | | | | | | | | | | |

| तालिका 13.4 मृत्यु 2008–19 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मद | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| कुल | 25.1 | 25.7 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 32.1 | 35.9 | 29.1 | 30.5 | 36.8 | 40.8 | 39.9 | 26.2 |
| ग्रामीण | 20.9 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 28.8 | 31.5 | 20.9 | 22.6 | 25.3 | 21.0 | 13.9 | 9.9 |
| नगरीय | 50.1 | 50.3 | 50.6 | 50.9 | 51.3 | 53.7 | 56.8 | 46.3 | 49.5 | 56.0 | 19.9 | 21.0 | 51.2 |
| Source : Annual Vital Statistics Report | | | | | | | | | | | | | |

### 13.1 नगरीय निकाय :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है:–

संविधान के अनुच्छेद 243 'ब' के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची–XII में दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 'द' के अधीन प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की व्यवस्था है।

| क्रं. | निकाय | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | नगर पालिक निगम | 14 |
| 2 | नगर पालिका परिषद् | 43 |
| 3 | नगर पंचायत | 112 |
| | **कुल** | **169** |

### 13.2 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :–

#### 13.2.1 वित्तीय प्रशासन :–

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकाय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:–

1. संपत्ति कर 2. समेकित कर 3. जलकर 4. निर्यात कर

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन तथा तद्नुसार स्व–निर्धारित राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर के स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

**13.2..2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि** :– प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम , 2003 बनाया गया है। जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्रीजी हैं।

नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक शुल्क, बार लायसेन्स एवं अन्य क्षतिपूर्ति के अनुदान को शामिल किया जाता है, जिसे नगरीय निकाय द्वारा स्वविवेक से खर्च किया जाता है।

अधोसंरचना खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद शेष अतिरिक्त राशि, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सड़क मरम्मत अनुरक्षण जैसे मद को शामिल कर निधि का निर्माण किया जाता है एवं इस राशि से निम्नानुसार कार्यों को संपादित किया जाता है :–

- सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है।
- पेयजल योजना के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
- किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
- कूड़ा–कचरा अपशिष्ठ का प्रबंधन।
- नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

**13.3 विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ** :–

**13.3.1 नवीन सरोवर धरोहर योजना** :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना। जलाशयों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यकतानुसार चरण बद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना। जलाशयों में दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त कराना। परिसर में वृहद वृक्षारोपण संरक्षण ऐरियेशन से जल की सफाई पाथवे विद्युतीकरण सहित एवं

महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान। तालाब में मत्स्य पालन मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध। प्रथम चरण में रू. 3.00 लाख, द्वितीय चरण में रू. 22.50 लाख एवं तृतीय चरण में रू. 12.00 लाख, प्रति हेक्टेयर का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 101 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 2,614.688 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 05 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 13.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.2 ज्ञानस्थली योजना** :– शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना। प्राथमिक शाला के लिए 8.75 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 13.70 लाख, उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के लिए 15.25 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 18.24 लाख रूपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 23 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 211.66 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 22 परियेाजनाओं हेतु राशि रू. 243.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.3 उन्मुक्त खेल मैदान योजना** :– शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख रूपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 09 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 444.46 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अद्यतन राशि रू. 2163.36 लाख व्यय, 177 परियोजनाएं पूर्ण।

**13.3.4 पुष्प वाटिका उद्यान योजना** :– शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर रू. 37.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 33 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 1054.64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 04 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 96.72 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.5 राजीव गॉधी स्वालंबन योजनाः**– असंगठित रूप से गुमटी–ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों की आर्थिक उत्थान की योजना। प्रति गुमटी रू. 0.30 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में 19 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 5.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 3,714 गुमटियों हेतु राशि रू. 642.30 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.6 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना** :– नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना। बड़ी दुकानों के लिए रू. 1.18 लाख तथा रू. 0.98 लाख की लागत से छोटी दुकान एवं रू. 6,500 की लागत से चबूतरों का निर्माण। नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन। वर्ष 2018–19 में 250 परियोजनाओं हेतु रू. राशि 106.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 12,762 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 2,894.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.7 मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना** :– विभाग द्वारा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण हेतु तथा एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमर्शियल कॉम्पलेक्स के विकास एवं निर्माण हेतु **मुख्यमंत्री पालिका बाजार** योजना प्रारंभ की गई है। इससे नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा वे आय अर्जित कर, आर्थिक रूप से सक्षम बनने की दिशा में अग्रसर होंगे।

**13.3.8 पौनी पसारी योजना** – प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरान्त सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत '' पौनी–पसारी'' व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी। योजनांतर्गत प्रति नग 30.00 लाख की पात्रता निर्धारित है। नगरीय निकायों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में 01 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 26.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन 261 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 7,283.07 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.10 प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना** :– सड़क मार्ग आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। अतः आवागमन को सरल बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी है। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना–द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत नगर निगमों में राशि रूपये 50.00 लाख, नगर पालिकाओं में राशि रूपये 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों में राशि रूपये 17.00 लाख का परिसर निर्माण किया जाता हैं। अब तक 146 परियोजनाओं हेतु राशि रूपये 3,553.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.11 मुक्तिधाम निर्माण योजना** :– शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना। नगरीय निकायों को प्रथम चरण शवदाह शेड, प्रतिक्षालय, चौकीदार कक्ष, एवं स्टोरेज हेतु रू. 10.00 लाख, पॉथवे पेयजल तथा पाईप लाईन फेंसिग प्रवेश द्वार विकास कार्य (उद्यान एवं नलकूल) विद्युतीकरण टॉयलेट ब्लाक द्वितीय चरण हेतु रू.15.00 लाख प्रति हेक्टेयर का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 38 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 645.869 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 03 परियेाजनाओं हेतु राशि रू. 52.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.12 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना** :– असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु योजना। नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रू. 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रू. 40.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 03 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 74.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 5186.74 लाख व्यय, 108 परियोजनाएं पूर्ण।

**13.3.13 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना** :– नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यों हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराने की योजना। नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख, 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख, शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख शेष नगर पंचायतों में रू. 25.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 14 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 277.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.14 रेग पिकर्स कल्याण योजना** :– नगरीय क्षेत्रों मे एक ऐसा तबका जो कि रेग पिकर्स के नाम से जाना जाता है, उनका व्यवसाय कचरे से पेपर्स, पॉलीथिन, लोहा, कॉच एवं अन्य पुर्नचक्रित करने योग्य अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित कर उनका विक्रय कर जीविकोपार्जन करना है, प्रगति की राह में समाज के अन्य वर्गो से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए है, अतएव उनके उत्थान के लिए सूडा द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना तैयार की गई है। रेग पिकर्स के चिन्हाकंन हेतु वार्डवार सर्वेक्षण किए जाते है एवं पात्र हितग्राही को रू. 3,700.00 के मान से राशि अवमुक्त की जावेगी। रेग पिकर्स को फोटो युक्त परिचय पत्र निकाय द्वारा प्रदान किया जावेंगा। वर्तमान में इनको निकाय की डोर टू डोर कलेक्शन योजना में प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 8,612 परियेाजनाओं हेतु राशि रू. 318.644 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**13.3.15 भागीरथी नल–जल योजना** :– राज्य के लगभग 5.00 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3,000.00 का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2,860 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 83.28 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। 150 नगरीय निकायों को 2,63,391 नल संयोजन के लिए राशि रू. 7,897.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 4,758.833 लाख व्यय, 1,75,503 नल संयोजन का कार्य पूर्ण।

**13.3.16 मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना** :– शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए कलेवर में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस योजना में आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से फ्री (मुफ्त) में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक भी इसी योजना की कड़ी है। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू गरीबी बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनकी बस्तियों में जा रही है। प्रदेश के 14 नगर निगमों के लगभग 900 स्लम क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों हेतु अब तक कुल 2,326 शिविर आयोजित, 1,25,473 मरीजों को इलाज मिला।

**विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–**

**13.4 स्मार्ट सिटी मिशन :–** भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश के 03 शहरों रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर को सम्मिलित किया गया है।

- मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त प्लान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु पेयजल, विद्युत की 24 घण्टे उपलब्धता तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली की खपत में कमी लाने हेतु एलईडी लाईट, अण्डरग्राउण्ड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, अत्याधुनिक पार्कों एवं ग्रीन स्पेसेस तथा बाजारों के विकास का कार्य प्रस्तावित है।

- **रायपुर** स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 3,139.00 करोड़ का प्लान स्वीकृत है, जिसमें से लगभग रू. 682.60 करोड़ के 130 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी प्रकार राशि रू. 201.60 करोड़ के 105 कार्य प्रगति पर हैं, राशि रू. 698.90 करोड़ की निविदाएं जारी, एवं राशि रू. 493.30 करोड़ की डीपीआर तैयारी पर है।

- शहर में प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली के विकास एवं संचालन हेतु ई–रिक्शा, सायकल शेयरिंग, ट्रैफिक पुलिस एवं प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किये जाने के साथ साथ शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सार्वजानिक सुविधाओं की समस्त जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम एवं कंट्रोल सेंटर – ''दक्ष'' स्थापित किया गया है। बहुप्रतीक्षित जवाहर बाजार पुनर्विकास (रिडेव्हल्पमेंट) का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है।

- **बिलासपुर** स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 4,053.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीएमसी) का चयन किया जा चुका है। लगभग रू. 111.50 करोड़ के 17 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, राशि रू. 1271.20 करोड के 31 कार्य प्रगति पर हैं, इसी प्रकार राशि रू. 122.70 करोड़ के कुल 10 निविदा जारी तथा 35 कार्य डीपीआर अनुमोदन हेतु राशि रू. 2,846.80 करोड़ तथा 05 कार्य हेतु राशि रू. 137.40 करोड़ का डीपीआर तैयार किया गया है।

- **अटल नगर (नया रायपुर)** स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 1,711.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अटल नगर में कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर का संचालन प्रारंभ किया गया है। अभी तक राशि रू. 96.37 करोड़ के कुल 03 कार्य पूर्ण तथा राशि रू. 302.91 करोड के 14 कार्य प्रगति पर हैं, कुल 03 कार्य हेतु राशि रू. 64.81 करोड़ की निविदा जारी व कुल 20 कार्य के डीपीआर अनुमोदन हेतु 436.20 करोड़ एवं 05 कार्य की डीपीआर तैयारी हेतु राशि रू. 76.57 करोड की परियोजनाएं प्लानिंग स्तर पर हैं।

- **13.5 स्वच्छ भारत मिशन** :– दिनांक 02.10.2017 को प्रदेश के समस्त 168 नगरीय निकायों के कुल 3217 वार्डों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के उपरान्त विधिवत खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है। यह प्रमाणन प्रत्येक छः माह में किया जाता है, जिसमें शहरी छत्तीसगढ़ को लगातार ओडीएफ घोषित किया गया है।

निजी शौचालय अंतर्गत लक्ष्य 3,25,050 शौचालय के विरूद्व 3,24,009 शौचालय का निर्माण पूर्ण एवं 36 का कार्य पूर्णता पर है तथा 1,005 प्रगतिरत्। सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय अंतर्गत लक्ष्य 17,796 सीट में से 17,286 सीटों का निर्माण पूर्ण एवं 510 का कार्य प्रगति पर है।

**13.6 मिशन क्लीन सिटी** :– भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्रदेश के नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुर्नचक्रीकरण योग्य कचरे के पृथकीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू की गई है। उक्त योजनांतर्गत प्रतिदिन लगभग 950 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जा रहा है। योजना में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा, डोर टू डोर कलेक्शन, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन–संधारण, आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है। अंतिम शेष अपशिष्ट के लिए लैण्डफिल निर्माण किया गया है। एसएलआरएम सेन्टर्स तथा कम्पोस्टिंग शेड, आवश्यक वाहन, उपकरण तथा आनुषांगिक सामग्री क्रय हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को प्रदान की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है तथा महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 9,000 महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर सृजित हुए है। नगर निगम बिलासपुर एवं रायपुर में कचरे से आर.डी.एफ. तैयार करने हेतु संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

**स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 – वर्ष** 2016 से प्रारंभ हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ने भारत में शहरों के बीच स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ्य प्रतिपर्स्धा की षुरूआत की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान और 2019 में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ राज्य के 8 शहर 3 स्टॉर शहरों श्रेणी में शामिल हुए थे एवं अंबिकापुर ने देश में 5 स्टॉर शहर का दर्जा प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में स्वच्छता के स्तर को और उंचाईयों पर पहुंचाने के लिए राज्य की प्राचीन परंपरा नरवा गरूवा घुरवा बारी को पुर्नजीवित करते हुए **राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान दिलाया है**। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ राज्य के शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पाटन, जशपुरनगर, धमतरी, अंबिकापुर एवं भिलाईनगर ने अपने–अपने जनसंख्या श्रेणी में देश के स्वच्छतम शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। पाटन नगर पंचायत को 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है। इसके साथ ही अकलतरा, भिलाईचरोदा, बीरगांव, चांपा, चिरमिरी, कवर्धा, नरहरपुर, पिपरिया एवं सारागांव नगरीय निकायों को भी देश स्तर पर सम्मानित किया गया है।

गोधन न्याय योजना अंतर्गत योजना के तहत एसएलआरएम सेंटर का उन्नयन करते हुए 377 गोधन न्याय सह गोबर खरीदी केंद्र का विकास नगरीय निकायों में किया जा रहा है, साथ ही इन केंद्रों के निकट ही नवीन गौठान बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में गोबर विक्रेता के रूप में हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है तथा गोबर क्रय की राशि प्रत्येक 15 दिनों में सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन की तरह नरवा गरूवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ में लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है। जिसमें नरवा के तहत सभी जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखना, गरवा के तहत प्रदेश के मवेशियों को सुरक्षा, घुरवा के तहत घर में ही कंपोस्ट खाद बनाना एवं बारी/गार्डन में इस खाद का उपयोग करना है। इस पद्धति को अपनाकर छत्तीसगढ़ अपनी परंपरा से जुड़कर स्वच्छता की नई राह पर निकल पड़ा है।

**सुविधा–24 योजना** :– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथा संभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किन्तु तालाब की पार, अथवा निकाय की योजना से प्रभावित होने पर अपवाद–स्वरूप अंतिम विकल्प के रूप में सामुदायिक, सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु योजना ''सुविधा–24'' लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत रू. 1,40,000 है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान रू. 39,200, राज्यांश की राशि रू.13,067.00 एवं शेष राशि अतिरिक्त राज्यांश के रूप में राज्य शासन से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत जर्जर/अनुपयोगी सामुदायिक शौचालयों को तोड़कर नवीन शौचालयों के निर्माण तथा सभी वर्गों के महिलाओं, पुरूषों, बच्चों तथा विकलांगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया गया है। महिला शौचालय में सेनेटरी नेपकिन इनसिनेरेटर तथा रात्रि में शौचालय बन्द होने पर चौबीस घण्टे एक महिला एवं एक पुरूष सीट प्रारंभ रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों में एकरूपता के प्रयोजन से विभिन्न सीटों की संख्या के शौचालयों के मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराये गए है। अद्यतन कुल 17,796 सीट में से 17,286 सीटो का निर्माण पूर्ण एवं 510 का कार्य प्रगति पर है।

**स्वच्छता श्रृंगार योजना** :– प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु स्वच्छता **श्रृंगार योजना** लागू की गई। योजनांतर्गत शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव (लघु टूटफूट) के लिए निकायों को शत्–प्रतिशत मासिक अनुदान– सामुदायिक शौचालय (20 सीटर) रू. 15,000, सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से अधिक रू. 18,000 तथा सामुदायिक शौचालय (जिसमें केयर टेकर न हो) हेतु राशि रू. 1,200 प्रतिसीट प्रतिमाह किंतु अधिकतम रू. 15,000 उपलब्ध कराई जाती है।

योजनांतर्गत शौचालयों में उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य सुविधाएं– सामुदायिक शौचालय में शौचालय, मूत्रालय तथा स्नानागार इत्यादि समस्त सुविधाएं निःशुल्क, केयर टेकर, प्रतिदिन न्यूनतम 02 एवं आवश्यकतानुसार सफाई, साबुन, साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाईपर, आईना, नीले/हरे

डस्टबीन, पेपर, नेपकीन, फिनाईल, झाड़ू, ब्रश, प्रकाश हेतु एलईडी लाईट, सभी दरवाजों की कुण्डी आदि की व्यवस्था साथ ही सेनिटरी पैड वेडिंग मशीन (पे–एण्ड यूज के आधार पर), अनिवार्यतः उर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी लाईट) का उपयोग, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईसीटी फिडबैक सिस्टम), नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100, स्वच्छता ऐप के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

**13.7 मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन)** — अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में जनगणना 2011 के अनुसार 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 09 नगरीय निकाय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित है। मिशन के प्रमुख घटक जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट तथा उद्यान विकास है। मिशन अवधि (वर्ष 2015–2020) हेतु राशि रू. 2,236.00 करोड़ की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें राशि रू. 1,804.00 करोड की लागत से जल प्रदाय परियोजनाएं, राशि रू. 399.00 करोड़ से सेप्टेज मैनेजमेंट तथा राशि रू. 33.00 करोड़ से उद्यान विकास कार्य प्रस्तावित है। मिशन अंतर्गत अद्यतन राशि रू. 1,628.00 करोड़ उपलब्ध करायी गई है। मिशन के अंतर्गत अद्यतन निम्नानुसार परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

**तालिका 13.5 मिशन अमृत योजना** (राशि करोड़ में)

| घटक | शहर का नाम | | | | | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भिलाई | कोरबा | अंबिकापुर | राजनांदगांव | बिलासपुर | जगदलपुर | रायपुर | दुर्ग | रायगढ़ | |
| जल प्रदाय योजना | 221.61 | 211.66 | 101.67 | 208.40 | 296.52 | 99.48 | 378.74 | 154.53 | 131.79 | 1804.40 |
| सेप्टेज मैनेजमेंट | 0.19 | 0.90 | 0.43 | 12.46 | 1.30 | 55.91 | 268.58 | 0.21 | 58.64 | 398.62 |
| उद्यान विकास | 10 नग | 8 नग | 8 नग | 9 नग | 11 नग | 11 नग | 9 नग | 6 नग | 4 नग | 76 नग |
| | 3.05 | 3.29 | 3.21 | 4.65 | 5.60 | 2.75 | 5.68 | 2.56 | 1.96 | 32.75 |

जल प्रदाय परियोजना कोरबा का कार्य लगभग 98% पूर्ण हुआ है एवं भिलाई का कार्य लगभग 90% पूर्ण हुआ है। जल प्रदाय परियोजना राजनांदगांव, अंबिकापुर, रायपुर एवं बिलासपुर की प्रगति लगभग 70% है। जल प्रदाय परियोजना जगदलपुर, दुर्ग एवं रायगढ़ की प्रगति लगभग 50% है। सीवरेज/सेप्टेज घटक अंतर्गत रायपुर शहर में प्रवाहित होने वाले गंदे नालों के उपचार हेतु 03 नग एसटीपी (कुल क्षमता 200 एमएलडी) स्थापित करने हेतु राशि रू. 235.00 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की प्रगति लगभग 45% है। इसी प्रकार रायगढ़ में 02 नग एसटीपी (कुल क्षमता 32 एमएलडी) तथा जगदलपुर में 25 एमएलडी क्षमता का 01 एसटीपी स्थापित करने हेतु राशि रू. 112.00 करोड़ स्वीकृत किए गए है, जिसकी भौतिक प्रगति लगभग 17% है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिफार्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने पर विभाग को कुल राशि रू. 70.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है (वर्ष 2015–16 में 13 करोड़, वर्ष 2016–17 हेतु 25 करोड़, वर्ष 2017–18 हेतु 14 करोड़ एवं वर्ष 2018–19 में 18 करोड़)। मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में समस्त योजनाएं पूर्ण होना संभावित है।

### 13.9 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – छत्तीसगढ़ संक्षिप्त जानकारी :–

शहरी आवासहीन गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग (3.00 लाख रू. से कम) के हितग्राहियों (पति, पत्नि एवं अविवाहित संतान) जिनका देश में कही भी पक्का आवास नहीं है एवं दिनाक 31.08.2015 से पूर्व निकाय क्षेत्रांतर्गत निवासरत हैं, ऐसे पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास प्रदान किया जाना है।

### 13.9.1 योजना के घटक :–

- मोर जमीन मोर मकान (BLC) :– मिशन के घटक अन्तर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण/विस्तार किया जाना है। इस घटक अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया में, व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 04 किस्तों में राशि रू. 2.29 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

- मोर मकान मोर चिन्हांरी (AHP) :– अस्थायी गंदी बस्ती एवं अव्यवहार्य (Untenable) स्थायी झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु, नगरीय निकाय के माध्यम से आवास निर्माण कर झुग्गी बस्तियों में निवासरत झुग्गीवासियों को, शासन द्वारा बहुमंजिला ईमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स निर्मित किये जाते हैं, जिसमें शासन द्वारा कुल राशि रू. 4.00 लाख अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों को राशि रू. 75,000 में यह आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।

- ऋण पर ब्याज सब्सिडी (CLSS) घटक :– हितग्राही को आवास निर्माण/क्रय हेतु 3.00 से 6.50 प्रतिशत तक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाना है। नवीन आवास निर्माण या आवास क्रय करने पर बैंकों के माध्यम से सीधे ब्याज सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।

**13.9.2 वित्तीय संरचना** : मिशन के विभिन्न घटकों में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत वित्तीय संचरना निम्नानुसार है –

**तालिका 13.6 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) वित्तीय संरचना** (राशि रू. लाख में)

| क्र. | घटकवार प्रति आवास अनुमानित लागत | केन्द्रांश | राज्यांश | हितग्राही अंश | प्रति इकाई लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी (BLC) | 1.50 | 0.85 | 0.86 | 3.21 |
| 2 | भागीदारी से किफायती आवास निर्माण (AHP) | 1.50 | 2.50 | 0.75 | 4.75 |
| 3 | आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण में ब्याज सब्सिडी (CLSS) | EWS, LIG MIG-I एवं MIG-II आवास निर्माण/क्रय करने हेतु ऋण पर 3.0–6.5 प्रतिशत तक ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाती है। | | | |

- मिशन अंतर्गत शासन द्वारा अद्यतन निम्नानुसार घटकवार स्वीकृति प्राप्त है :–

| तलिका 13.8 आवासीय परियोजनाओं का घटकवार विवरण | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घटक | स्वीकृति का विवरण | | वित्तीय संरचना (राशि रू. करोड़ में) | | | | कार्य की भौतिक प्रगति | | |
| | परियोजना की संख्या | आवास संख्या | केन्द्रांश | राज्यांश | हितग्राही अंश | योग | पूर्ण आवास | निर्माणा धीन | निविदा कार्यवाही / अप्रारंभ |
| BLC | 1639 | 200301 | 3004.52 | 1636.56 | 1541.80 | 6182.88 | 82576 | 60184 | 122620 |
| AHP | 111 | 65079 | 976.19 | 1494.27 | 667.50 | 3165.38 | 8854 | 38739 | 17486 |
| **Total** | **1750** | **265380** | **3980.71** | **3130.83** | **2209.3** | **9348.26** | **91430** | **98923** | **140106** |

| घटक | कुल लक्ष्य | स्वीकृत प्रकरण |
|---|---|---|
| ऋण पर ब्याज सब्सिडी | 67009 | 22586 |

**उपलब्धियाँ :–**

- सूडा द्वारा द्रुतगति से कार्य करते हुए वर्ष 2019–20 से अद्यतन तक लगभग 72,000 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- राजनांदगांव में बीएलसी घटक अन्तर्गत **"आशा चढ़ी परवान"** योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु हुड्को द्वारा प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।

**13.10 डे–एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :–** :– भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासो से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए **"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन"** का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, कौशल उन्नमुखी, स्व–रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध के लिये प्रतिबद्ध है। शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराना तथा शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं का निदान कर, समुचित स्थानों पर वेन्डिग जोन विकसित किये जावे। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 28 नगरीय निकाय, वित्तीय वर्ष 2016–17 में 29 तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 20 नगरीय निकाय तथा शेष 111 निकायों को वित्तीय वर्ष 2018–19 में शामिल किये गये है। 166 नगरीय निकायों में मिशन लागू है।

| तालिका 13.9 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन घटकवार उपलब्धि (2021–22) | | |
|---|---|---|
| क्रं. | घटक | उप घटक |
| 1 | सामाजिक गतिशीलता व संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Develpment) | • स्वयं सहायता समूह का गठन – 1,153, प्रति समूह 10–15 सदस्य कुल सदस्य – 13,836<br>• स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्ती निधि – 1,021 कुल राशि 102.10 लाख अनुदान<br>• एरिया लेवल फेडरेशन का गठन – 25<br>• एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्ति निधि – 26, कुल राशि 13.00 लाख का अनुदान |
| 2 | क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (Capacity Building & Training) | • विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर – 6 / शहर स्तर पर – 74, सामु. संगठक– 207 , सहायक कर्मचारी – 47 |

| क्रं. | घटक | उप घटक |
|---|---|---|
| 3 | स्व–रोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme) | • व्यक्तिगत ऋण प्रकरण – 1017 बैकों से राशि 897.03 लाख का ऋण<br>• समूह ऋण प्रकरण – 100 समूहों को बैकों से राशि 187.67 लाख ऋण<br>• स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण – 531 समूहों को बैकों से राशि 648.05 लाख का ऋण<br>• ब्याज अनुदान – 119.97 लाख |
| 4 | शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Street Vendors ) | • पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन हेतु सर्वे 56 निकायों में पूर्ण<br>• पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन – 31573<br>• वेडिंग प्लान का चिन्हांकन– 55 |
| 5 | शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Shelter for Urban Homeless) | • संचालित आश्रय स्थलों की संख्या –31<br>• आश्रय स्थलों का निर्माणधीन – 4,<br>• पूर्ण निर्माण असंचालित आश्रय स्थलों की संख्या– 13, निविदा प्रक्रियाधीन आश्रय स्थल –3 |

## 13.12 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – उपलब्धि

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वालों के लिए घर तक वस्तु और सेवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। कोविड–19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन से विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते है और लॉकडाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी पूरी समाप्त हो गई है होगी, इसलिए इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपीटल) हेतु ऋण की अति आवश्यकता है।

### योजना का उद्देश्य

- 10,000 तक की कार्यशील पूंजी की सहायता।
- नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।

### ब्याज अनुदान/सब्सिडी

- योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान की पात्रता होगी, ब्याज अनुदान प्रत्येक तीन माह में प्रदाय की जाएगी।

### ऋण गारण्टी

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES) द्वारा ग्रेडेड गारंटीड सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।

(दिनांक 12.11.2021 की स्थिति में)

| क्रं. | लक्ष्य | ऑनलाईन आवेदनों की संख्या | बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन | बैंकों द्वारा वितरित आवेदन | बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित ऋण राशि | स्वीकृति उपरांत लंबित आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00,000 | 97,242 | 47,850 | 45,295 | 45.27 करोड | 2,555 |

**13.13 नरूवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाडी** :– शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी अतंर्गत नगरीय निकायों में गौठान निर्माण का कार्य कराया जाना है। योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के गौधन (पालतू/आवारा) के रख–रखाव हेतु पारम्परिक एवं प्रचलित व्यवस्था को बरकरार रखना हैं, जिससे गौवंश का सुरक्षात्मक व्यवस्थापन होकर नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालन, जैविक खाद निर्माण, बॉयोगैस उत्पादन इत्यादि कार्य किया जा सके।

नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजनांतर्गत गौठान निर्माण हेतु 300 गौधन हेतु 3.00 एकड़ भूमि का नक्शा एवं राशि रू. 23.69 लाख का आदर्श प्राक्कलन तैयार किया गया है। जो कि गौधन की संख्या एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार निकाय (आयुक्त/मुख्य नगर पालिक अधिकारी) द्वारा परिवर्तन कर प्रस्ताव तैयार किया जावेगा। निकायों को गौधन की संख्या की अनुपात में राशि जारी की जावेगी। गौठान निर्माण का कार्य दो चरणो में किया जाना है।

**प्रथम चरण के कार्य –**

प्रथम चरण में बुनियादी कार्य फेंसिंग कार्य, अहाता निर्माण कार्य, पानी की व्यवस्था, चरवाहा कक्ष निर्माण कार्य, भंडार कक्ष निर्माण कार्य, डिस्पेंसिंग कक्ष निर्माण कार्य, पशुओं एवं चारा हेतु शेड निर्माण कार्य, बिजली आदि की व्यवस्था की जाएगी।

**द्वितीय चरण के कार्य**

द्वितीय चरण में बायोगैंस प्लांट निर्माण कार्य, कम्पोस्टिंग पिट निर्माण कार्य, गौमूत्र एकत्रीकरण केन्द निर्माण कार्य, चारा विकास एवं दुध संग्रहण केन्द निर्माण कार्य आदि की व्यवस्था की जाएगी।

**3.1 गोधन न्याय योजना**

दिनांक 20 जुलाई 2020 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरूआत नगर पंचायत पाटन के गोठान से की गई। राज्य शासन द्वारा परियोजना हेतु कृषि एवं जैव प्रद्योगिकी विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रू प्रति कि.ग्रा. में गोबर क्रय कर उसे वैज्ञानिक तरीके से गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को को–ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से 10 रू. प्रति कि.ग्रा. में विक्रय किया जा रहा है। गौधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालको के आय में वृद्धि एवं व्यर्थ गोबर को वर्मी खाद बनाने में उपयोग किया जाना है।

गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 13,40,415.43 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है, वर्तमान में कुल 2,53,945.88 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 21,076.47 क्विंटल गोकाष्ठ, 1,49,369.59 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है तथा इनके विक्रय से कुल राशि रू. 10,10,74,781.30 प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से कुल 39,507.20 क्विंटल कण्डे एवं दीया बनाकर राशि रू. 51,06,512.00 की आय अर्जित की गई है। शहरी क्षेत्रों में परियोजना का क्रियान्वयन हेतु स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि कार्यक्रम का अभिसरण करते हुए लगभग 9,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे है। गोबर खरीदी हेतु समस्त 166 नगरीय निकायों में 377 गोधन खरीदी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।